संख्या-269/2021/1163/41-2021-111(बजट)/2018

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 24 मार्च 2021**

विषयः- जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर (बृजघाट) के समेकित पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7392/6-1-1(879)/2018-19, दिनांक 16 मार्च 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर (बृजघाट) के समेकित पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **-सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम** द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष निम्नांकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गई है:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)	वित्तीय स्वीकृति (लाख में)	किश्तो का विवरण
1	2018-19	188/2018/3845/41-2018-111(बजट)/2018 दिनांक 21-11-2018	2002.23	800.89	प्रथम
2	2019-20	233/2019/2828/41-2019-111(बजट)/2018 दिनांक 17-10-2019		800.89	द्वितीय
3	2019-20	122/2020/887/41-2020-111(बजट)/2018 दिनांक 30-03-2020		300.00	तृतीय
4	2020-21	234/2020/2682/41-2020-111(बजट)/2018 दिनांक 20-10-2020		100.45	चतुर्थ
कुल योग				2002.23	

3- तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि , प्रेषित करते हुये जी0एस0टी0 की धनराशि रू0-214.67 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। **इस संबंध में परियोजना प्रबंधक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के पत्रांक-2139 /कार्य-30/60 दिनांक 26 -12-2020 द्वारा ब्याज अर्जित किये जाने एवं उसे मुख्यालय सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है।**

4- अत: उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0-214.67 लाख (रू0-दो करोड चौदह लाख सडसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि कार्यदायी संस्था द्वारा अर्जित ब्याज की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी और जी0एस0टी0 भुगतान से संबंधित जी0एस0टी0 इन्वायस भी पूर्ण् विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नांकित प्रस्तर-3(1) से 3(6) के अनुसार अधिरोपित की जाती है:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रस्तर-2 पर उल्लिखित शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रश्नगत परियोजना में हुये निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(4) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक विशिष्टियों एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-41- जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-269/2021/1163/41-2021-111(बजट)/2018 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी हापुड।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक , सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम यूनिट -31 गाजियाबाद।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।